न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 04 / 2017 दायरा दिनांक 13.04.2017

पीठासीन अधिकारी :– श्री राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)

उनवान

1. घासीलाल पुत्र अमरचन्द जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला–बारां
2. जमना बाई पत्नि जयलाल जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला–बारां
3. विद्या पत्नि पप्पू पुत्री जयलाल जाति ओझा निवासी चिलाद तहसील कोलारस जिला शिवपुरी (मध्यपद्रेश)
4. रतनलाल पुत्र जयलाल जाति ओझा निवासी 3 नं गेट के पास सकतपुरा कोटा
5. सुशीला पत्नि कल्याण पुत्र जयलाल जाति ओझा निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारां राज.
6. राजू पुत्र जयलाल जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला–बारां

– अपीलाण्ट

बनाम

1. चुन्नी पुत्र अमरचन्द जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
2. केसरीलाल पुत्र अमरचन्द जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
3. मुरारी पुत्र अमरचन्द जाति ओझा निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
4. संतो बाई पुत्री अमरचन्द पत्नि रामदयाल जाति खाती निवासी फरेदुआ उपरेटी तहसील शाहबाद जिला बारां।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद।

– रेस्पोडेण्ट

उपस्थित :–

श्री अरविन्द्र शर्मा – अभिभाषक अपीलान्ट।

श्री चन्दमोहन वर्मा – अभिभाषक रेस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक 13.10.2022

अपील विरूद्ध इन्तकाल संख्या 248 दिनांक 17.06.1992 ग्राम फरेदुआ उपरेटी

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। संक्षेप प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.06.1992 ग्राम नाटई को निरस्त करने बाबत् प्रस्तुत की है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जाकर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुये रेस्पोडेण्ट से रिकार्ड प्रस्तुत करने की तलबी की गई।

ग्राम फरेदुआ उपरेटी की आराजी खसरा नम्बर 193 रकबा 6.08 बीघा 302 रकबा 0.10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 6.18 बीघा के खातेदार अमरचन्द पुत्र मोहनलाल, अपीलान्ट क्रम 1 के पिता अपीलान्ट्स 3 लगायत 6 के दादा अपीलान्ट क्रम 2 के सुसर थे। जिनका सजरा निम्न प्रकार है।

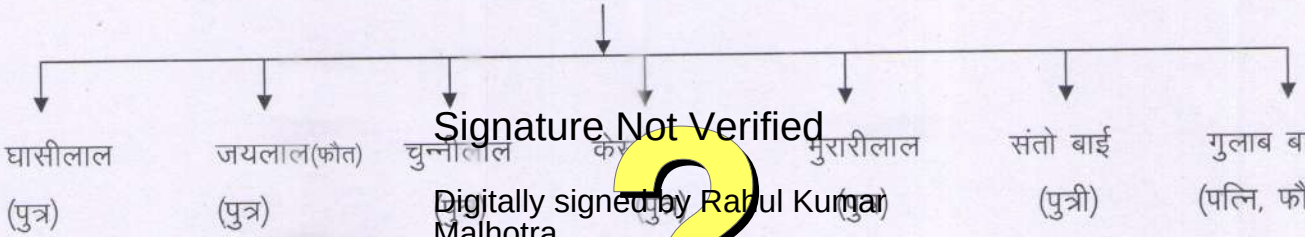

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:34 IST
Reason: SelfAttested

खातेदार अमरचन्द की मृत्यु के पश्चात् तस्दीक किये गये फौती इन्तकाल संख्या 248 दिनांक 17.06.1992 अपीलान्ट पुत्र घासीलाल व मृतक जयलाल जिसके वारिस अपीलान्ट क्रम 2 लगायत 6 हैं को छोडकर रेस्पोडेण्ट्स के नाम सर्वथा विधि विरूद्ध रूप से हिन्दू उत्तराधिकार विधि के विपरीत तस्दीक कर दिया जो निरस्त किये जाने योग्य है। मृतक अमरचन्द के फौती इन्तकाल में पुत्र घासीलाल, जयलाल का नाम दर्ज किया जाना चाहिए।

वकील रेस्पोडेण्ट नम्बर 1 ता 3 की ओर से जबाब् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेण्ट क्रम 1 ता 3 के पिता अमरचन्द का स्वर्गवास सन् 1972 से पूर्व हो गया था अपने जीवनकाल में अपने सामने समस्त सम्पत्तियों चल व अचल का बंटवारा करके कब्जा संभला गये थे। पिता अमरचन्द का फौती नामान्तरकरण उनके फौत होने के 20 वर्ष बाद हमारी माताजी गुलाब बाई के जीवनकाल में खोला गया था जो पूर्व के बंटवारा अनुसार माताजी की सहमति से खोला गया था। अपीलान्ट ने माताजी के स्वर्गवास होने के बाद अपील नामान्तरकरण की गई है। जिससे कोई साक्षी बंटवारा का पेश नहीं किया जा सके। पिता जी को फोत हुये करीब 47 वर्ष हो चुके है। तभी से रेस्पोडेण्ट पिता द्वारा किये गये बंटवारा के अनुसार आराजियात पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अमरचन्द के तस्दीक किये गये अपीलाधीन फोती इन्तकाल में राजस्व कर्मियों ने रेस्पोडेण्ट क्रम 1 लगायत 3 व 4 का नाम ही दर्ज किया जबकि अपीलान्ट क्रम 1 के पिता व 3 लगायत 6 के दादा, अपीलान्ट क्रम 2 के सुसर थे। जो मृतक अमरचन्द के पुत्र होकर अमरचन्द की जायदाद के विरासतन अधिकारी थे का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था लेकिन अमरचन्द के फोती इन्तकाल में अमरचन्द के पुत्र घासीलाल व जयलाल का नाम दर्ज नही किया केवल रेस्पोडेण्ट क्रम 1 से 3 व संतो बाई का नाम दर्ज कर इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो सर्वथा अवैध हिन्दू उत्तराधिकार कानून के विपरीत होने से निरस्तनीय है। ग्राम नाटई के मूल इंतकाल नं. 248 दिनांक 17.06.1992 का अवलोकन करने पर यह प्रपीत हुआ है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टस् का नाम छोडा जाना पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम नाटई का इंतकाल नं. 248 दिनांक 17.06.1992 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशो के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत तरीके से प्रकरण की भलीभांति जांच की जाकर नियमानुसार वास्तविक वारिसान के नाम नामान्तरकरण तस्दीक किया जावें। मूल इंतकाल नं. 248 दिनांक 17.06.1992 निर्णय की प्रति सहित तहसीलदार शाहबाद को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहाबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2023.02.12 09:57:34 IST
Reason: SelfAttested